

मांग पत्र

“जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड” द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला- पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.658 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 2.985 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.391 हेक्टेयर कुल 5.034 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपरिवर्तित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मांग पत्र प्रस्तुत है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड

चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड,

मोवा (सड़क), रायपुर (छ.ग.)